(संलग्नक-5)

सहायक अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) सेवा नियमावली-1999

उत्तर प्रदेश सरकार,
लोक निर्माण अनुभाग-3
लखनऊ : दिनांक 006 नवम्बर, 1999

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियंता (विद्युत और याँत्रिक शाखा) सेवा नियमावली 1993 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता (विद्युत और याँत्रिक शाखा) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1999

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1 (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियंता (विद्युत और याँत्रिक शाखा), सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1999 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम-5 का प्रतिस्थापन — 2 उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात् :-

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
भर्ती का स्रोत — भर्ती-5 सेवा में किसी पद पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :-	भर्ती का स्रोत — सेवा में किसी पद पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :-
(एक) $66^2/_3$ प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	(एक) 51.67 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(दो) 25 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अवर अभियंता (विद्युत) और अवर अभियंता (याँत्रिक) में से उनके अपने-अपने संवर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात में, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।	(दो) 40 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अवर अभियंता (याँत्रिक) में से उनके अपने-अपने संवर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात मे, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
(तीन) $8^1/_3$ प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अवर अभियंता (विद्युत) और अवर अभियंता (याँत्रिक) में से जो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विद्युत अभियंत्रण या याँत्रिक अभियंत्रण मे स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि या	(तीन) 8.33 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अवर अवर अभियंता (विद्युत) और अवर अभियंता (याँत्रिक) में से जो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विद्युत अभियंत्रण या याँत्रिक अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त

जो विद्युत अभियंत्रण शाखा या यॉत्रिक अभियंत्रण शाखा में इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) के एसोसिएट मेम्बर्स हो और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा,

परन्तु यदि अपेक्षित अर्हता रखने वाले उपयुक्त पात्र व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो तो रिक्तियाँ खण्ड (दो) में उल्लिखित स्रोत से भरी जा सकती है।

कोई उपाधि या जो विद्युत अभियंत्रण शाखा या यॉत्रिक अभियंत्रण शाखा में इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) के एसोसिएट मेम्बर्स हो और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा

परन्तु यदि अपेक्षित अर्हता रखने वाले उपयुक्त पात्र व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो तो रिक्तियाँ खण्ड (दो) में उल्लिखित स्रोत से भरी जा सकती है।

आज्ञा से,
लक्ष्मी चन्द
प्रमुख सचिव